न्याय विभाग
विधि और न्याय मंत्रालय
*****

न्यायिक सुधार पर कार्रवाई अनुसंधान और अध्ययन की योजना के दिशानिर्देश

न्यायिक सुधारों पर कार्रवाई अनुसंधान और अध्ययन योजना के तहत ,कार्रवाई अनुसंधान/ मूल्यांकान/ निगरानीअध्ययन करने /सेमिनार/सम्मेलन/कार्यशालाएं आयोजित करने ,अनुसंधान और निगरानी गतिविधियों के लिए क्षमता निर्माण , रिपोर्ट/ सामाग्री के प्रकाशन , प्रचार के लिए औरन्याय प्रदायगी , कानून अनुसंधान और न्यायिक सुधार के क्षेत्रों में अभिनव कार्यक्रम/गतिविधियां को बढ़ावा देने वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी ।

उद्देश्य :

इस योजना का उद्देश्य न्याय प्रदायगी और विधिक सुधार के राष्ट्रीय मिशन से संबंधी मुद्दों पर अनुसंधान और अध्ययन को बढ़ावा देना है, जिसे न्याय विभाग द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।

वित्तीय सहायता के लिए पात्र परियोजनाएं/गतिविधियां:

न्याय विभाग द्वारा न्याय प्रदायगी कानूनी अनुसंधान और न्यायिक सुधार के क्षेत्र में निम्नलिखित परियोजनाओं / गतिविधायों के लिए पात्र कार्यान्वयन एजेंसियों को वित्तीय सहायता दी जाएगी :

- कार्रवाई अनुसंधान/ मूल्यांकन अध्ययन करना ।
- संगोष्ठियों/ कार्यशालाओं/ सम्मेलन का आयोजन करना ।
- अनुसंधान और निगरानी गतिविधियों के लिए क्षमता निर्माण गतिविधि शुरू करना।
- रिपोर्ट/ सामग्री का प्रकाशन शुरू करना ।
- नवोन्मेषी कार्यक्रमों / गतिविधियों को बढ़ावा देना।
- परियोजना स्वीकृति समिति द्वारा तय किए जाने वाले राष्ट्रीय मिशन से संबंधित मुद्दों के प्रचार के लिए कोई अन्य परियोजना/गतिविधि शुरू करना ।

पात्र कार्यान्वयन एजेंसियां

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन , एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया , इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकनॉमिक रिसर्च, नेशनल ज्यूड़ीशियल एकेडमी, स्टेट ज्यूड़ीशियल एकेडमी और अन्य प्रतिष्ठा संस्थान जो न्याय प्रदायगी, कानूनी शिक्षा और अनुसंधान और न्यायिक सुधारक क्षेत्र में कम कर रहे हैं ।

परियोजना स्वीकृति समिति को किसी भी सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त संस्थान/संगठन को पात्र कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में अनुमति देने का अधिकार होगा , यदि इस योजना के तहत अनुमेय परियोजना/ गतिविधि करने के लिए उपयुक्त पाया जाता है ।

सहायता का पैटर्न

पात्र कार्यान्वयन एजेंसी को ऐसी एजेंसी परियोजना लागत का संकेत देते हुए ,प्रस्तुत किए गए परियोजना प्रस्ताव के आधार पर सहमत निबंधनों और शर्तो पर वित्तीय सहायता दी जाएगी ।

यह वित्तीय सहायता किस्तों में दी सकती है और परियोजना लागत की कम से कम 10% राशि राष्ट्रीय न्याय प्रदायगी और कानूनी सुधार मिशन , न्याय विभाग द्वारा अंतिम परियोजना रिपोर्ट की स्वीकृति देने पर अंतिम किस्त के रूप में भुगतान के लिए रखी जा सकती है।

यह वित्तीय सहायता अनुदानग्राही संस्थान द्वारा किए गए वास्तविक व्यय तक सीमित होगी , जो कि 25.00 लाख रुपए कि समग्र सीमा के अधीन है। तथापि असाधारण मामलों में जहां परियोजना का दायरा पर्याप्त रूप से विस्तृत है , नमूना आकार बड़ा है और परियोजना लंबी अवधि के लिए परियोजना स्वीकृति सीमित इस सीमा में छूट दे सकती है ।

परियोजना प्रस्ताव

न्याय और विधिक सुधार के लिए राष्ट्रीय मिशन , न्याय विभाग द्वारा पहचाने गए विषयों के लिए चयनित कार्यान्वयन एजेंसियों से परियोजना प्रस्ताव आमंत्रित किया जाएगा , जिसमें परियोजना के नियमों और शर्तों के रूप में निम्नलिखित जानकारी शामिल होगी :

- परियोजना का शीर्षक
- कार्यान्वयन एजेंसी का नाम
- प्रधान समन्वयक का विवरण (नाम, पदनाम और अनुसंधान अनुभव)
- उद्देश्य
- कार्यप्रणाली
- अवधि (परियोजना कि शुरुआत के लिए विधिष्ट समय सीमा के साथ , अंतरिम प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करना, अंतिम रिपोर्ट जमा करने से पहले प्रस्तुत और अंतिम रिपोर्ट जमा करना)
- विस्तृत विवरण के साथ परियोजना लागत:

परियोजना स्वीकृति समिति

सभी परियोजना प्रस्तावों को विचार और अनुमोदन के लिए परियोजना स्वीकृति समिति के समक्ष रखा जाएगा। परियोजना स्वीकृति समिति कि संरचना निम्नलिखित :

सचिव, न्याय विभाग	अध्यक्ष
अपर सचिव और वित्तीय सलाहकार, न्याय विभाग	सदस्य
महा सचिव, उच्चतम न्यायालय	सदस्य
संयुक्त सचिव और मिशन निदेशक, न्याय विभाग	सदस्य
संयुक्त सचिव, भारतीय विधि आयोग	सदस्य
निदेशक, भारतीय विधि संस्थान	सदस्य
निदेशक, राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी	सदस्य
निदेशक/ उप सचिव (राष्ट्रीय मिशन) न्याय विभाग	सदस्य सचिव

भारतीय विधि संस्थान (आईएलआई) और राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी (एनजेए) के प्रस्तावों पर विचार करते समय, संबधित संस्थान/अकादमी के निदेशक अपने प्रस्तावों के संबंध में परियोजना स्वीकृति समिति के विचार – विमर्श से खुद को अलग कर लेंगे।

परियोजना के अनुमोदन कि प्रक्रिया

पहचाने गए विषयों पर चयनित संस्थानों/संगठनों से आमंत्रित प्रस्तावों को विचारार्थ और अनुमोदन के लिए परियोजना स्वीकृति समिति के समक्ष रखा जाएगा। परियोजना स्वीकृति समिति का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा। उसके बाद अनुमोदित परियोजना प्रस्तावों को परियोजना/परियोजनाओं को अनुमोदित करने और धन जारी करने के लिए विधि और न्याय मंत्रालय के एकीकृत वित्त प्रभाग को प्रस्तुत किया जाएगा। प्रत्येक किस्त एकीकृत वित्त प्रभाग के अनुमोदन पर जारी कि जाएगी ।

उपयोगिता प्रमाणपत्र

कार्यान्वयन एजेंसी परियोजना शुरू करने के लिए न्याय विभाग से प्राप्त धन के लिए न्याय विभाग द्वारा निर्धारित उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा ।

विवाद समाधान

किसी भी परियोजना से संबधित किसी भी विवाद का फैसला सचिव (न्याय) और मिशन लीडर, राष्ट्रीय न्याय प्रदायगी और विधिक सुधार मिशन , न्याय विभाग द्वारा किया जाएगा , जो कार्यान्वयन एजेंसी पर बाध्यकारी होगा।

(हा /-)
उप सचिव, भारत सरकार